S.No.	Name of officer	Date of issue of Notification of appointment to IAS
20.	Shri Pranab Kumar Khound	-do-
21.	Shri Aftahuddin Ahmed	25.3.1994

Role of MLAs and MPs in the Implementation of Panchayati Raj

4195. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the envisaged role of Members of Legislative Assemblies (MLAs) and Members of Parliament (MPs) in the implementation of Panchayati Raj Acts in their respective States;

(b) what are the policies/choices for enhancing greater resource mobilisation among the Panchayati Raj bodies; and

(c) in what manner the Panchayati Raj institutions can be made effective instruments for achieving growth with social justice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) article 243 C(3) of the Constitution provides that the Legislature of a State may provide for representation of the members of the House of the People and the members of the Legislative Assemble of the State representing constituencies which comprise wholly or partly a Panchayat area at a level other than the village level, in such Panchayat; and of the members of the Council of States and the members of the Legislative Council of the State, where they are registered as electors within—(i) a Panchayat area at the intermediate level, in Panchayat at the intermediate level; (ii) a Panchayat area at the district level, in Panchayat at the district level.

(b) As stipulated in the Art.243 I, the State Finance Commissions would look into the financial aspects of Panchayats including steps for ensuring greater resource mobilisation among the Panchayati Raj bodies.

(c) Article 243 D of the Constitution provides for reservation of seats and officers of Chairpersons in Panchayati Raj Institutions in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women. These measures would make Panchayati Raj Institutions effective instruments for achieving growth with social justice.

मध्य प्रदेश के जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाएं

4196. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के जनजातीय और आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना की चरण-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए वर्ष-वार और योजना-वार संस्वीकृत की गई धनराशि कितनी है;

(घ) प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) प्रत्येक योजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) से (घ) मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाएं हैं:—(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और (4) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। ये कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय शामिल हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य चयन किये गये ग्रामीण गरीब परिवारों को सरकारी सबसिडी और वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण की मार्फत उन्हें उत्पादक स्वरूप की परिसंपत्तियां और निवेश उपलब्ध कराकार गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। यह योजना छोटे/सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए है जिसमें से सहायता किये जाने वाले परिवारों में से 50 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होते हैं।

इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है। गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित समूह होते हैं और रोजगार मुहैया कराने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जानजाति के समुदायों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है।

अक्तूबर, 1993 से पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना भी कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य, उन लोगों, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो रोजगार चाहते हैं, को कम से कम 100 दिन का अकुशल सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है। 1993-94 के दौरान राज्य को 71.18 करोड़ रुपए रिलीज किये गये थे और 51.26 लाख श्रमदिनों का रोजगार जुटाया गया था।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में पेयजल मुहैया कराने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की निधियों का कम से कम 25 प्रतिशत अंश अनुसूचित जातियों और 10 प्रतिशत अंश अनुसूचित जन जातियों के लाभ के लिए निर्धारित किया जाता है।

इसी प्रकार, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य फसलों और पशुधन के उत्पादन तथा भूमि की उत्पादकता आदि पर सूखा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जन जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों की बहुतायत वाले क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

उपरोक्त योजनाओं में से अधिकांश में केन्द्रीय स्तर पर जिला-वार निगरानी नहीं की जाती है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि और उसकी तुलना में भौतिक उपलब्धि विवरण में दर्शाई गई है **(नीचे देखिए)**।

(ङ) उपरोक्त योजनाएं निरन्तर चलने वाली योजनाएं हैं और इन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में कार्यान्वित करना जारी रखा जाएगा।

विवरण

1991-92 से 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का भौतिक और वित्तीय निष्पादन

	कार्यक्रम	वर्ष	आबंटन (केन्द्र + राज्य) (लाख रुपयों में)	भौतिक उपलब्धियां
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1991-92	6536.00	294810 (सहायता किए गए परिवार)

	कार्यक्रम	वर्ष	आबंटन (केन्द्र + राज्य) (लाख रुपयों में)	भौतिक उपलब्धियां		
		1992-93	6822.00	1840.83	,,	
		1993-94	10342.00	242673	,,	
2.	जवाहर रोजगार योजना	1991-92	23885.31*	945.39	(लाख श्रम दिवस)	
		1992-93	33629.94*	709.66	,,	
		1993-94	31062.44*	769.25	,,	
3.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1991-92	3683.00*	5877	(कवर किए गए गांवों की संख्या)	
		1992-93	2738.40*	5866	,,	
		1993-94	4933.70*	5963	,,	
						(80 हैक्टेयर में)
				एलआरडी	डब्लूआरडी	एएफएफ
4.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1991-92	809.00	53.80	0.61	66.90
		1992-93	809.00	30.39	6.70	59.95
		1993-94	1213.50	26.35	9.68	54.07

* आकड़े की गई रिलीजों से संबंधित हैं।
एलआरडी—भूमि संसाधन विकास
डब्लूआरडी—जल संसाधन विकास
एएफएफ—वन रोपण एवं चरागाह विकास

मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास योजना

4197. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला-वार निर्धारित/प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नई योजना शुरू करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजन के लिए जिला-वार उपलब्ध कराई गई धनराशि कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) मध्य प्रदेश में शुरू की गई महिला एवं शिशु विकास योजना 40 जिलों मे कार्यान्वित की जा रही है। यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना है जिसके तहत् 5.15 ग्रामीण गरीब महिलाओं के समूहों को आय बढ़ाने वाली स्वरोजगार की गतिविधियां चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक समूह को 25,000 रुपये तक की आवर्ती निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। मंत्रालय द्वारा जिले-वार ब्यौरों की निगरानी नहीं रखी जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं: